



केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 8887

18 03 2024

विषय: 8887 : 2018 (सड़कों के लिए बिटूमेन पायस (धनायिक टाईप—विशिष्ट) में संशोधन संख्या 2

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 8887 : 2018 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। IS 8887 : 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **27 May 2024** है। सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों से आग्रह है कि IS 8887 : 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें।

(इंद्रजीत सिंह)
वैज्ञानिक-डी

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 8887

18 03 2024

Subject: Amendment No. 2 to Indian Standard IS 8887:2018 (Bitumen Emulsion for Roads (Cationic Type) — Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 1 to Indian Standard IS 8887 : 2018 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 8887 : 2018 is **27 May 2024**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment.

(Inderjeet Singh)
Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices